

कार्यालय ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक/ग्वा.वि.प्रा./विनय नगर/दुकान/2022/ 1188

ग्वालियर, दिनांक :- 25/11/2023

-: अष्टम आमंत्रण :-

ग्वालियर विकास प्राधिकरण की विनय नगर योजना सैक्टर-3 राजीव गाँधी सामुदायिक भवन के पास निर्मित दुकानें व्ययन नियम 2018 के तहत निम्न ईकाईयों के लिये ऑनलाईन बोली आमंत्रित की जाती है-


ग्वालियर विकास प्राधिकरण की विनय नगर योजना सैक्टर-3 अन्तर्गत निर्मित 05 दुकानों के व्ययन हेतु बोली आमंत्रित की जाती है।
(रैरा पंजीयन क्रमांक:- पी.-ग्वा.-20-2807)

निर्मित दुकानें

स. क्र.	अनारक्षित.	दुकान क्रमांक.	दुकान उपयोग.	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में प्रति दुकान विल्टप ऐरिया	दुकान की कीमत प्रति वर्ग मीटर	दुकान का आरक्षित मूल्य प्रति दुकान.	धरोहर राशि 10%	पट्टे लीज पर या भू-स्वामी अधिकारों पर व्ययन.	पट्टे लीज के प्रकरण में वार्षिक पट्टा भाड़ा.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	सामान्य श्रेणी	44	व्यवसायिक.	12.80	61,000.00	7,80,800.00	78,080.00	यथानियम	यथानियम
		38, 39, 40	व्यवसायिक.	29.60	61,000.00	18,05,600.00	1,80,560.00	यथानियम.	यथानियम.

ऑनलाईन बोली में भाग लेने हेतु पोर्टल <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in//> के माध्यम से दिनांक 27/01/23 से दिनांक 27/02/2023 तक बोली दस्तावेज शुल्क रुपये 1000+180 जीएसटी सहित कुल रुपये 1,180/- तथा 10% धरोहर राशि का ऑनलाईन भुगतान का बोली में भाग लिया जा सकता है। बोलियों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 27/02/23 सांय 5.00 बजे तक निर्धारित की गई है। बोली दिनांक 28/02/23 को अपराह्न 3.00 बजे ऑनलाईन खोली जाएंगी। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

- नोट:-
- बोली केवल ऑन लाईन पोर्टल <https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in//> के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी।
 - बोली प्रस्तुतकर्ता के ऊपर म0प्र0 शासन/प्राधिकरण के नियम तथा व्ययन नियम 2018 के साथ-साथ भविष्य में लागू नियम प्रभावशील होंगे।
 - यदि दुकान कॉर्नर अथवा पार्क के सामने होने पर ऑफर मूल्य का दस प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी एवं पार्क+कॉर्नर दोनों होने पर 15% अतिरिक्त राशि देनी होगी।
 - नियमानुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त रूप से देय होगी।
 - दुकानों का विक्रय यथास्थिति में किया जा रहा है जिसका निरीक्षण स्थल पर किये जाने के पश्चात् ही बोली हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जावें बाद में कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं की जावेगी।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
 ग्वालियर विकास प्राधिकरण
 ग्वालियर